

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## संशोधन-आदेश

परिवीक्षाकाल उपरांत प्रधानाध्यापक-मावि के स्थायीकरण हेतु विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में जारी आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-3 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संशोधन
I	II	III
1	<b>RADHESHYAM</b> GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARHIYA (214652) HANUMANGARH	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था /बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/4-25/ 216 दिनांक 30.05.2022 में स्थायीकरण तिथि 29.02.2022 के स्थान पर 01.03.2022 पढी जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001-45005/प्रधानाध्यापक-प्रधानाध्यापक/स्थायीकरण संशोधन/2022/3 दिनांक 08.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, राज0, अजमेर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा)।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक